कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा

स्वास्थ्य भवन, द्वितीय तल, नार्थ ब्लॉक सेक्टर–19 नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

ईमेल– cmeoffice-cg@cg.gov.in, वेबसाईट –www.cgdme.in

क्र./ /नर्सिंग स्थापना/2026 दिनांक........../........../2026

//संविदा भर्ती विज्ञापन//

छत्तीसगढ़ शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के आदेश क्रमांक ESTB-148/78/2025/55-MED नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 05/03/2026 के अनुक्रम में नवीन शासकीय नर्सिंग महाविद्यालयो (बलरामपुर, बैकुंठपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, जांजगीर चांपा, जशपुर, कुरूद–धमतरी, नवा रायपुर अटल नगर एवं पुसौर–रायगढ़) हेतु सृजित विभिन्न पदों में से तृतीय श्रेणी के निम्नलिखित विज्ञापित पदों को संविदा भर्ती के माध्यम से भरे जाने हेतु दिये गये सहमति के परिप्रेक्ष्य में छ. ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 के प्रावधानों एवं विभागीय भर्ती नियम अंतर्गत निर्धारित योग्यता मापदण्डों एवं विहित शर्तों अनुसार भरे जाने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के योग्य एवं इच्छुक मूल निवासी उम्मीदवारों से निर्धारित समय सारणी अनुसार ऑनलाईन आवेदन पत्र https://monitoringcell.cgdme.in/NursingStaff आमंत्रित किए जाते हैं, निर्धारित तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। विज्ञापित पदों के लिये शैक्षणिक अर्हताएँ, आयु सीमा, आरक्षण एवं अन्य महत्वपूर्ण दिशा निर्देश निम्नानुसार है :–

I. विज्ञापित पदों का श्रेणीवार, महाविद्यालयवार समेकित विवरण निम्नानुसार है :–

(1) बलरामपुर

क्र.	पदनाम	एकमुश्त संविदा वेतन	संविदा भर्ती हेतु कुल पद	श्रेणीवार रिक्त पद												कुल रिक्तियों में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पद संख्या
				अनारक्षित			अ.ज.जा.			अ.जा.			अ.पि.वर्ग			
				मुक्त	महिला	भू.पू.सै.	मुक्त	महिला	भू.पू.सै.	मुक्त	महिला	भू.पू.सै.	मुक्त	महिला	भू.पू.सै.	
1.	कार्यालय अधीक्षक	35165/–	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	स्टेनोग्राफर ग्रेड–3	26490/–	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	सहायक ग्रेड–1	26490/–	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	सहायक ग्रेड–02/लेखापाल	23350/–	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	स्टोर कीपर	23350/–	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	वार्डन	23350/–	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	सहायक ग्रेड–3	18000/–	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		योग –	9	7	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(2) बैकुण्ठपुर

क्र.	पदनाम	एकमुश्त संविदा वेतन	संविदा भर्ती हेतु कुल पद	श्रेणीवार रिक्त पद												
				अनारक्षित			अ.ज.जा.			अ.जा.			अ.पि.वर्ग			कुल रिक्तियों में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पद संख्या
				मुक्त	महिला	भू.पू.सै.	मुक्त	महिला	भू.पू.सै.	मुक्त	महिला	भू.पू.सै.	मुक्त	महिला	भू.पू.सै.	
1.	कार्यालय अधीक्षक	35165/–	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	स्टेनोग्राफर ग्रेड–3	26490/–	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	सहायक ग्रेड–1	26490/–	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	सहायक ग्रेड–02/लेखापाल	23350/–	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	स्टोर कीपर	23350/–	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	वार्डन	23350/–	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	सहायक ग्रेड–3	18000/–	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		योग –	9	7	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(3) बीजापुर

क्र.	पदनाम	एकमुश्त संविदा वेतन	संविदा भर्ती हेतु कुल पद	श्रेणीवार रिक्त पद												
				अनारक्षित			अ.ज.जा.			अ.जा.			अ.पि.वर्ग			कुल रिक्तियों में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पद संख्या
				मुक्त	महिला	भू.पू.सै.	मुक्त	महिला	भू.पू.सै.	मुक्त	महिला	भू.पू.सै.	मुक्त	महिला	भू.पू.सै.	
1.	कार्यालय अधीक्षक	35165/–	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	स्टेनोग्राफर ग्रेड–3	26490/–	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	सहायक ग्रेड–1	26490/–	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	सहायक ग्रेड–02/लेखापाल	23350/–	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	स्टोर कीपर	23350/–	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	वार्डन	23350/–	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	सहायक ग्रेड–3		2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		योग –	9	5	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(4) दन्तेवाड़ा

क्र.	पदनाम	एकमुश्त संविदा वेतन	संविदा भर्ती हेतु कुल पद	श्रेणीवार रिक्त पद												
				अनारक्षित			अ.ज.जा.			अ.जा.			अ.पि.वर्ग			कुल रिक्तियों में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पद संख्या
				मुक्त	महिला	भू.पू.सै.	मुक्त	महिला	भू.पू.सै.	मुक्त	महिला	भू.पू.सै.	मुक्त	महिला	भू.पू.सै.	
1.	कार्यालय अधीक्षक	35165/–	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	स्टेनोग्राफर ग्रेड–3	26490/–	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	सहायक ग्रेड–1	26490/–	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	सहायक ग्रेड–02/लेखापाल	23350/–	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	स्टोर कीपर	23350/–	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	वार्डन	23350/–	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	सहायक ग्रेड–3	18000/–	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		योग –	9	5	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(5) जांजगीर–चांपा

क्र.	पदनाम	एकमुश्त संविदा वेतन	संविदा भर्ती हेतु कुल पद	श्रेणीवार रिक्त पद												
				अनारक्षित			अ.ज.जा.			अ.जा.			अ.पि.वर्ग			कुल रिक्तियों में दिव्यांग जनों के लिए आरक्षित पद संख्या
				मुक्त	महिला	भू.पू.सै.	मुक्त	महिला	भू.पू.सै.	मुक्त	महिला	भू.पू.सै.	मुक्त	महिला	भू.पू.सै.	
1.	कार्यालय अधीक्षक	35165/–	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	स्टेनोग्राफर ग्रेड–3	26490/–	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	सहायक ग्रेड–1	26490/–	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	सहायक ग्रेड–02/लेखापाल	23350/–	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
5.	स्टोर कीपर	23350/–	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	वार्डन	23350/–	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	सहायक ग्रेड–3	18000/–	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
		योग –	9	5	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0

(6) जशपुर

क्र.	पदनाम	एकमुश्त संविदा वेतन	संविदा भर्ती हेतु कुल पद	श्रेणीवार रिक्त पद												
				अनारक्षित			अ.ज.जा.			अ.जा.			अ.पि.वर्ग			कुल रिक्तियों में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पद संख्या
				मुक्त	महिला	भू.पू.सै.	मुक्त	महिला	भू.पू.सै.	मुक्त	महिला	भू.पू.सै.	मुक्त	महिला	भू.पू.सै.	
1.	कार्यालय अधीक्षक	35165/–	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	स्टेनोग्राफर ग्रेड–3	26490/–	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	सहायक ग्रेड–1	26490/–	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	सहायक ग्रेड–02/लेखापाल	23350/–	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	स्टोर कीपर	23350/–	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	वार्डन	23350/–	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	सहायक ग्रेड–3	18000/–	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		योग –	9	7	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(7) कुरूद–धमतरी

क्र.	पदनाम	एकमुश्त संविदा वेतन	संविदा भर्ती हेतु कुल पद	श्रेणीवार रिक्त पद												
				अनारक्षित			अ.ज.जा.			अ.जा.			अ.पि.वर्ग			कुल रिक्तियों में दिव्यांग जनों के लिए आरक्षित पद संख्या
				मुक्त	महिला	भू.पू.सै.	मुक्त	महिला	भू.पू.सै.	मुक्त	महिला	भू.पू.सै.	मुक्त	महिला	भू.पू.सै.	
1.	कार्यालय अधीक्षक	35165/–	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	स्टेनोग्राफर ग्रेड–3	26490/–	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	सहायक ग्रेड–1	26490/–	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	सहायक ग्रेड–02/लेखापाल	23350/–	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	स्टोर कीपर	23350/–	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	वार्डन	23350/–	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	सहायक ग्रेड–3	18000/–	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

योग –			9	7	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(8) नवा रायपुर

क्र.	पदनाम	एकमुश्त संविदा वेतन	संविदा भर्ती हेतु कुल पद	श्रेणीवार रिक्त पद												
				अनारक्षित			अ.ज.जा.			अ.जा.			अ.पि.वर्ग			कुल रिक्तियों में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पद संख्या
				मुक्त	महिला	भू.पू.सै.	मुक्त	महिला	भू.पू.सै.	मुक्त	महिला	भू.पू.सै.	मुक्त	महिला	भू.पू.सै.	
1.	कार्यालय अधीक्षक	35165/–	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	स्टेनोग्राफर ग्रेड–3	26490/–	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	सहायक ग्रेड–1	26490/–	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	सहायक ग्रेड–02/लेखापाल	23350/–	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	स्टोर कीपर	23350/–	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	वार्डन	23350/–	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	सहायक ग्रेड–3	18000/–	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
योग –			9	7	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(9) पुसौर–रायगढ़

क्र.	पदनाम	एकमुश्त संविदा वेतन	संविदा भर्ती हेतु कुल पद	श्रेणीवार रिक्त पद												
				अनारक्षित			अ.ज.जा.			अ.जा.			अ.पि.वर्ग			कुल रिक्तियों में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पद संख्या
				मुक्त	महिला	भू.पू.सै.	मुक्त	महिला	भू.पू.सै.	मुक्त	महिला	भू.पू.सै.	मुक्त	महिला	भू.पू.सै.	
1.	कार्यालय अधीक्षक	35165/–	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	स्टेनोग्राफर ग्रेड–3	26490/–	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	सहायक ग्रेड–1	26490/–	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	सहायक ग्रेड–02/लेखापाल	23350/–	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	स्टोर कीपर	23350/–	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	वार्डन	23350/–	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	सहायक ग्रेड–3		2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
योग –			9	7	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

II. महत्वपूर्ण समय–सारिणी :–

1.	आवेदन करने का यू.आर.एल. लिंक	:	https://monitoringcell.cgdme.in/NursingStaff
2.	ऑनलाईन आवेदन करने की प्रारंभ तिथि	:	17/08/2026
3.	ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि	:	23/08/2026
4.	ऑनलाईन आवेदन में त्रुटि सुधार हेतु अवसर		24/08/2026 से 25/08/2026 तक
5.	प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर अनंतिम प्रावीण्य सूची जारी करना	:	31/08/2026
6.	ऑनलाईन दावा आपत्ति प्राप्त करने का दिनांक	:	01/09/2026 से 03/09/2026
7.	प्राप्त दावा आपत्तियों का निराकरण	:	07/09/2026
8.	प्राप्त दावा आपत्तियों का निराकरण दिनांक उपरांत कौशल परीक्षा हेतु शार्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों की सूची जारी करना	:	10/09/2026

9.	पद क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5 एवं 7 के लिये कौशल परीक्षा		16/09/2026
10.	मेरिट के आधार पर अर्ह अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन	:	21/09/2026 से 23/09/2026 पूर्वान्ह 10:30 बजे से स्थान नोडल कार्यालय संबंधित शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, छ0ग0 (नोडल कार्यालय से संबंधित शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय की सूची का प्रकाशन अलग से यू. आर.एल. विभागीय वेबसाईट www.cgdme.in पर किया जावेगा।)
11.	चयनित अभ्यर्थियों की सूची/प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन	:	25/09/2026

महत्वपूर्ण टीपः–

(क) अभ्यर्थियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए दस्तावेज सत्यापन एवं चयनित अभ्यर्थियों की सूची/प्रतीक्षा सूची की प्रकाशन तिथि परिवर्तनीय हो सकती है।

(ख) आवेदन जमा करने की प्रक्रिया– उक्त पदों हेतु केवल ऑनलाईन आवेदन ही स्वीकार किये जावेंगे। ऑनलाईन आवेदन करने के लिये यू.आर.एल. https://monitoringcell.cgdme.in/Nursing Staff का प्रयोग करें। उक्त यू.आर.एल. विभागीय वेबसाईट www.cgdme.in पर भी उपलब्ध रहेगी। उपरोक्त विज्ञापन से संबंधित समस्त महत्वपूर्ण जानकारियॉ समय–समय पर उपर्युक्त यू.आर.एल. एवं वेबसाईट के माध्यम से प्रदाय की जायेंगी। अन्य किसी माध्यम से कोई जानकारी आवेदक को व्यक्तिगत प्रेषित नहीं की जायेगी। अतः विज्ञापन से संबंधित सूचना हेतु वेबसाईट का सतत् अवलोकन करते रहें।

(ग) ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि तक पद अनुरूप समस्त शैक्षणिक व अन्य अर्हताएं (मूल दस्तावेज) तथा कार्यानुभव (जो भी लागू हो) पूर्ण होना अनिवार्य है, अन्यथा दस्तावेज सत्यापन के दौरान आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा, तथा इस संबंध में कोई दावा–आपत्ति मान्य नहीं किया जायेगा।

<u>III. संविदा भर्ती के लिये पात्रता की शर्तें</u> :– उपरोक्त पदों की संविदा भर्ती में पात्र होने के लिये अभ्यर्थी को, निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात् :–

(एक) आयु :–

(i) 01 जनवरी 2026 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष पूरी कर ली हो तथा 35 वर्ष की आयु पूरी न की हो।

(ii) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़ा वर्गों (गैर–क्रीमीलेयर) का हो तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(iii) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिये उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथलीयनीय होगी।

(iv) दिव्यांगजन व्यक्तियों को सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार अधिकतम सीमा छूट दी जायेगी।

(v) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में भी जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हो या रह चुके हो नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुये उच्चतर आयु सीमा शिथलनीय होगीः—

(एक) ऐसा, अभ्यर्थी जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए।

(दो) ऐसा, अभ्यर्थी जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो और किसी अन्य पद के आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये। यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत् कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी।

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी जो ''छंटनी किया गया शासकीय सेवक'' हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष तक कालावधि, भले ही वह कालावधि 1 से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जावेगा।

परंतु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण :— ''छंटनी किया गया शासकीय सेवक'' से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की अथवा किन्ही भी संघटक इकाईयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर रहा हो और जिसे किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवा मुक्त किया गया हो।

(vi) ऐसा अभ्यर्थी जो ''भूतपूर्व सैनिक'' हो, उसे उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा।

परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरणः— शब्द ''भूतपर्व सैनिक'' से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो और जिसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी किया गया हो अथवा जिसे अतिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया होः—

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हे समय पूर्व सेवानिवृत्त रियायतों के अधीन निर्मुक्त कर दिया हो।

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हे दुबारा नामांकित किया गया हो, और जिन्हें :—

(क) अल्पकालीन वचनबद्ध अवधि पूर्ण हो जाने पर

(ख) नामांकन की शर्तें पूर्ण हो जाने पवर, सेवा मुक्त कर दिया गया हो।

(3) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (सैनिक तथा असैनिक), जिन्हें उनकी संविदा पूरी हो जाने पर सेवामुक्त किया गया हो (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल है)

(4) ऐसे भूतपूर्व सैनिक/अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर 6 माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवा मुक्त किया गया हो।

(5) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हे अशक्त होने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवा मुक्त किया गया हो कि अब वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं है।

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सकीय आाधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(vii) अस्पृश्यता निवारण नियम 1984 के अधीन अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरूस्कृत दम्पतियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(viii) शहीद राजीव पाण्डेय पुरस्कार, गुण्डाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ix) ऐसे अभ्यर्थी, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी है, के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।

(x) स्वयंसेवी नगर सैनिकों एवं नगर सेना के नान कमीशंड अधिकारियों के संबंध में उनके द्वारा पूर्व में इस प्रकार की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिये उच्चतर आयु सीमा में 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुये छूट दी जायेगी। किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये ।

टीप – (1) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें उपरोक्त नियम के खण्ड (एक) के उप खण्ड (ड.) के पैरा (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया हो, यदि वे आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो परीक्षा/चयन के पूर्व उसके पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे देते है तो वे नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगें। तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् से या पद से उनकी छंटनी कर दी जाती हो, तो वे पात्र बने रहेगें।

(2) किसी भी मामले में ये आयु सीमा शिथिल नहीं की जायेंगी। विभागीय अभ्यर्थियों को चयन हेतु उपस्थित होने के लिये, नियुक्त प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।

(xi) उपरोक्त संवर्गो में किसी एक या एक से अधिक आधार पर छूट प्राप्त करने के उपरांत, शासकीय सेवा में प्रवेश के लिये अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(xii) सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के मामले में संविदा नियुक्ति अधिकतम 10 वर्ष की अवधि के लिये या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, के लिये दी जा सकेगी ।

(xiii) उपरोक्त के अतिरिक्त, आयु सीमा के संबंध में, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश भी लागू होगे।

(दो) (क) न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताऍं :–

(1) <u>कार्यालय अधीक्षक</u> – विभागीय भर्ती नियम के अनुसार यह पद पदोन्नति का पद है। अतः इस पद की उम्मीदवारी के लिये इसके मूल प्रारंभिक फीडर पद की शैक्षणिक अर्हता के साथ–साथ आवश्यक कार्यानुभव धारी योग्य अभ्यर्थी/सेवानिवृत्त कर्मचारी आवेदन कर सकेंगें, अर्थात् –

अ. मूल शैक्षणिक योग्यता :– (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण । अथवा

किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से हायर सेकण्डरी (10+2) उत्तीर्ण एवं छत्तीसगढ़ राज्य की मान्यता प्राप्त पॉलिटैक्निक संस्था से Modern Office Management (MOM) डिप्लोमा ।

(2) मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा

(3) छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन कम्प्यूटर कौशल परीक्षा परिषद् से (कम्प्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी अथवा अंग्रेजी मुद्रलेखन में 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघण्टा की गति का प्रमाण पत्र ।

ब. आवश्यक कार्यानुभव :– (1) उपरोक्त मूल शैक्षणिक योग्यता को धारण करने के साथ–साथ :–

अ. वरिष्ठ अंकेक्षक के पद पर 03 वर्ष कार्य करने का अनुभव, अथवा

ब. सहायक कार्यालय अधीक्षक/मुख्य लिपिक/सहायक ग्रेड–1 के पद पर 06 वर्ष कार्य करने का अनुभव होना चाहिये ।

(2) <u>स्टेनोग्राफर ग्रेड–3</u> – स्टेनोग्राफर ग्रेड–3 पद की शैक्षणिक निम्नानुसार होगी –

(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण । अथवा

किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से हायर सेकण्डरी (10+2) उत्तीर्ण एवं छत्तीसगढ़ राज्य की मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्था से Modern Office Management (MOM) डिप्लोमा ।

(2) शासन द्वारा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक/औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आई.टी.आई.) या छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन कौशल परीक्षा परिषद् से –

क– शीघ्रलेखक (हिन्दी) के लिये –

हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र एवं शीघ्रलेखन की 100 शब्द प्रतिमिनट की गति

ख– शीघ्रलेखक (अंग्रेजी) के लिये –

अंग्रेजी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र एवं शीघ्रलेखन की 100 शब्द प्रतिमिनट की गति

ग– द्विभाषी – शीघ्रलेखक के लिये –

ऊपर खण्ड (क) तथा खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट हिन्दी तथा अंग्रेजी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र एवं शीघ्रलेखन की 100 शब्द प्रतिमिनट की गति ।

(3) मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा

(4) छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन कम्प्यूटर कौशल परीक्षा परिषद् से (कम्प्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी अथवा अंग्रेजी मुद्रलेखन में 10,000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघण्टा की गति का प्रमाण पत्र ।

(3) <u>सहायक ग्रेड–1</u> – विभागीय भर्ती नियम के अनुसार यह पद पदोन्नति का पद है। अतः इस पद को धारण करने के लिये इसके मूल प्रारंभिक फीडर पद की शैक्षणिक अर्हता के साथ–साथ आवश्यक अनुभव को धारण करने वाले योग्य अभ्यर्थी/सेवानिवृत्त कर्मचारी आवेदन कर सकेंगें, अर्थात् –

अ. मूल शैक्षणिक योग्यता :– (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण । अथवा

किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से हायर सेकण्डरी (10+2) उत्तीर्ण एवं छत्तीसगढ़ राज्य की मान्यता प्राप्त पॉलिटैक्निक संस्था से Modern Office Management (MOM) डिप्लोमा ।

(2) मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा

(3) छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन कम्प्यूटर कौशल परीक्षा परिषद् से (कम्प्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी अथवा अंग्रेजी मुद्रलेखन में 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघण्टा की गति का प्रमाण पत्र ।

ब. आवश्यक कार्यानुभव :– (1) उपरोक्त मूल शैक्षणिक योग्यता को धारण करने के साथ–साथ –

लेखापाल/सहायक ग्रेड–2/कैशियर/स्टोर कीपर/स्टोर सह लिपिक के पद पर 5 वर्ष कार्य करने का अनुभव,

(4) <u>सहायक ग्रेड–2/लेखापाल</u> – विभागीय भर्ती नियम के अनुसार यह पद पदोन्नति का पद है। अतः इस पद को धारण करने के लिये इसके मूल प्रारंभिक फीडर पद की शैक्षणिक अर्हता के साथ–साथ आवश्यक अनुभवधारी अभ्यर्थी/सेवानिवृत्त कर्मचारी आवेदन कर सकेंगें, अर्थात् –

अ. मूल शैक्षणिक योग्यता :– (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण । अथवा

किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से हायर सेकण्डरी (10+2) उत्तीर्ण एवं छत्तीसगढ़ राज्य की मान्यता प्राप्त पॉलिटैक्निक संस्था से Modern Office Management (MOM) डिप्लोमा ।

(2) मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा

(3) छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन कम्प्यूटर कौशल परीक्षा परिषद् से (कम्प्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी अथवा अंग्रेजी मुद्रलेखन में 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघण्टा की गति का प्रमाण पत्र ।

ब. आवश्यक कार्यानुभव :– (1) उपरोक्त मूल शैक्षणिक योग्यता को धारण करने के साथ–साथ–

अ. सहायक ग्रेड–3/टाईपिस्ट/कार्यालय लिपिक/रिसेप्शनिस्ट/कोडिंग क्लर्क/रिकार्ड कीपर/असिस्टेंट रिकार्ड क्लर्क/मेडिकल रिकार्ड क्लर्क/कम्प्यूटर स्टोर क्लर्क/असिस्टेंट स्टोर कीपर/स्टोर क्लर्क के पद पर 05 वर्ष कार्य करने का अनुभव,

ब. लेखा प्रशिक्षण उत्तीर्ण (45 वर्ष से कम आयु तक के अभ्यर्थी हेतु)

(5) <u>स्टोर कीपर</u> – विभागीय भर्ती नियम के अनुसार यह पद पदोन्नति का पद है। अतः इस पद को धारण करने के लिये इसके मूल प्रारंभिक फीडर पद की शैक्षणिक अर्हता के साथ–साथ आवश्यक अनुभवधारी अभ्यर्थी/सेवानिवृत्त कर्मचारी आवेदन कर सकेंगें, अर्थात् –

अ. मूल शैक्षणिक योग्यता :– (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण। अथवा किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से हायर सेकण्डरी (10+2) उत्तीर्ण एवं छत्तीसगढ़ राज्य की मान्यता प्राप्त पॉलिटैक्निक संस्था से Modern Office Management (MOM) डिप्लोमा ।

(2) मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा

(3) छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन कम्प्यूटर कौशल परीक्षा परिषद् से (कम्प्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी अथवा अंग्रेजी मुद्रलेखन में 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघण्टा की गति का प्रमाण पत्र ।

ब. आवश्यक कार्यानुभव :– (1) उपरोक्त मूल शैक्षणिक योग्यता को धारण करने के साथ–साथ – सहायक ग्रेड–3/टाईपिस्ट/कार्यालय लिपिक/रिसेप्शनिस्ट/कोडिंग क्लर्क/रिकार्ड कीपर/असिस्टेंट रिकार्ड क्लर्क/मेडिकल रिकार्ड क्लर्क/कम्प्यूटर स्टोर क्लर्क/असिस्टेंट स्टोर कीपर/स्टोर क्लर्क के पद पर 05 वर्ष कार्य करने का अनुभव,

(6) <u>वार्डन</u>– वार्डन पद की शैक्षणिक निम्नानुसार होगी, अर्थात् –

अ. बी.एस.सी. नर्सिंग या पोस्ट बेसिक (बी.एस.सी. नर्सिंग) प्रशिक्षण उत्तीर्ण।

ब. केन्द्रीय/छ.ग. राज्य नर्सिंग कौंसिल में पंजीयन

(7) <u>सहायक ग्रेड–3</u> – सहायक ग्रेड–3 पद की शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार होगी, अर्थात् –

(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण । अथवा

किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से हायर सेकण्डरी (10+2) उत्तीर्ण एवं छत्तीसगढ़ राज्य की मान्यता प्राप्त पॉलिटैक्निक संस्था से Modern Office Management (MOM) डिप्लोमा ।

(2) मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा

(3) छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन मुद्रलेखन कम्प्यूटर कौशल परीक्षा परिषद् से (कम्प्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के माध्यम से) हिन्दी अथवा अंग्रेजी मुद्रलेखन में 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघण्टा की गति का प्रमाण पत्र ।

(दो) (ख) सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के मामले में शैक्षणिक अर्हताएँ :–

(अ) सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की संविदा नियुक्ति के मामले में, सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व धारित पद के समकक्ष पद, ऐसे पद जिनके लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या नियम के अंतर्गत न्यायिक सेवा के क्षेत्र में विधिक अनुभव होना अपेक्षित हो को छोड़कर, पर नियुक्ति के लिये शैक्षणिक अर्हता का बंधन नहीं होगा।

(ब) सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की संविदा नियुक्ति के मामले में विशेष प्रकरणों में उनके विशिष्ट अनुभव, उत्कृष्ट सेवा अभिलेख एवं कार्य के मूल्यांकन के आधार पर उच्च पद, ऐसे पद जिनके लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या नियम के अंतर्गत न्यायिक सेवा के क्षेत्र में विधिक अनुभव होना अपेक्षित हो को छोड़कर, पर भी संविदा नियुक्ति दी जा सकेगी।

(तीन) निरर्हताएँ :—

(i) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्हीं भी साधनों से, समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा चयन के लिए निरर्हित माना जा सकेगा ।

(ii) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिनकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा / होगी,

परन्तु यदि शासन को यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो शासन, ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा ।

(iii) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्ति नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो कि विहित की जाए, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ, तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष जो किसी सेवा या पद के कर्त्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो से मुक्त, घोषित न कर दिया जाये :

परन्तु आपवादिक मामलों में अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि वह चिकित्सकीय रूप से अस्वस्थ पाया जाता है, तो उसकी सेवाएँ तत्काल समाप्त की जा सकेंगी ।

(iv) कोई भी अभ्यर्थी, किसी संविदा सेवा या पद के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी सम्यक्, जांच, जैसा कि आवश्यक समझें, के पश्चात् यह समाधान हो जाये कि वह (अभ्यर्थी) ऐसी सेवा या पद के लिए उपयुक्त नहीं है।

(v) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों, तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जायेगा जब तक कि उस आपराधिक मामले का न्यायालय द्वारा अंतिम विनिश्चयन न कर दिया जाये।

(vi) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी संविदा सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा ।

(vii) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा) नियुक्ति नियम 2012 में दिये गये प्रावधान एवं शासन द्वारा समय—समय पर जारी किये गये निर्देशों के अनुसार निरर्हताएँ, अभ्यर्थियों के लिए लागू होंगी।

(viii) चयनित अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन अर्थात पुलिस प्रमाणीकरण की विधिवत कार्यवाही के अध्यधीन होगा।

(ix) सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की उपरोक्त विज्ञापित पदों पर नियुक्ति के लिये अनहर्तायें उपर्युक्त के साथ–साथ, वही होंगी जो कि छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के नियम 9 में उल्लिखित हैं।

IV. चयन प्रक्रिया :–

(1) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 एवं विभागीय भर्ती नियम के प्रचलित मापदण्डों के तहत विज्ञापित उपरोक्त पदों की चयन/भर्ती प्रक्रिया एवं पात्रता लागू होगी ।

(2) सेवारत अभ्यर्थी हेतु आवेदित पद के लिए निर्धारित योग्यता से संबंधित किसी शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं शासकीय वित्त पोषित संस्थाओं द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। कार्यानुभव प्रमाण पत्र के साथ नियुक्ति आदेश की प्रति दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(3) किसी मान्यता प्राप्त अशासकीय संस्था से जारी कार्यानुभव को मान्य करते हुए अभ्यर्थियों को नियमानुसार पात्र सूची में सम्मिलित किया जावेगा, किन्तु उन्हें अनुभव का अंक प्रदान नहीं किया जायेगा।

(4) योग्य अभ्यर्थियों के चयन हेतु चयन समिति द्वारा प्रदाय किये जाने वाले अंकों की गणना निम्नानुसार की जायेगीः–

<u>(अ) विज्ञापित पद क्रमांक 1, 3, 4, 5 एवं 7 हेतु :–</u>

(कार्यालय अधीक्षक, सहायक ग्रेड–1, सहायक ग्रेड–2/लेखापाल, स्टोर कीपर, सहायक ग्रेड–3)

क्र.	विवरण	अधिकतम अधिभार (वेटेज) प्रतिशत
01	**अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता**	–
	(1.1) 'स्नातक' अथवा 'डिप्लोमा इन मार्डन ऑफिस मैनेजमेंट' के सभी वर्षों के एग्रीगेट प्राप्तांको का प्रतिशत वेटेज	80 **%**
02	कौशल परीक्षा (5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघण्टा की गति परीक्षा)	वाछंनीय
03	विज्ञापित पद के अनुरूप वांछनीय कार्यानुभव (पूर्ण छःमाही पर 01 अंक) का अंक	10 अंक
04	कोविड 19 में शासकीय संस्था में छः माह से अधिक कार्य करने का अनुभव	10 अंक
	कुल योग	**100 % अंक**

<u>(ब) विज्ञापित पद क्रमांक 2 हेतु :–</u>

(स्टेनोग्राफर ग्रेड–3)

क्र.	विवरण	अधिकतम अधिभार (वेटेज) प्रतिशत
01	**अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता**	
	1.1) 'स्नातक' अथवा 'डिप्लोमा इन मार्डन ऑफिस मैनेजमेंट' के सभी वर्षों के एग्रीगेट प्राप्तांको का प्रतिशत वेटेज	80 **%** अंक
02	कौशल परीक्षा (10,000 की (Key) डिप्रेशन प्रतिघण्टा की गति परीक्षा, जिसमें शीघ्रलेखन परीक्षा भी सम्मिलित होगी ।)	वाछंनीय
03	विज्ञापित पद के अनुरूप वांछनीय कार्यानुभव (पूर्ण छःमाही पर 01 अंक) का अंक	10 अंक
04	कोविड 19 में शासकीय संस्था में छः माह से अधिक कार्य करने का अनुभव	10 अंक

	कुल योग	100 % अंक

(स) विज्ञापित पद क्रमांक 6 हेतु :–
(वार्डन)

क्र.	विवरण	अधिकतम अधिभार (वेटेज) प्रतिशत
01	**अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता**	
	1.1) बी.एस.सी. नर्सिंग या पोस्ट बेसिक (बी.एस.सी. नर्सिंग) परीक्षा के सभी वर्षों के एग्रीगेट प्राप्तांको का प्रतिशत वेटेज	80 % अंक
02	विज्ञापित पद के अनुरूप वांछनीय कार्यानुभव (पूर्ण छःमाही पर 01 अंक) का अंक	10 अंक
03	कोविड 19 में शासकीय संस्था में छः माह से अधिक कार्य करने का अनुभव	10 अंक
	कुल योग	100 % अंक

(5) चयनित अभ्यर्थियों की सूची के साथ प्रतीक्षा सूची भी जारी की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों द्वारा संविदा सेवा के मध्य में सेवा छोड़ने पर शेष अवधि के लिए प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा। यह प्रतीक्षा सूची 01 वर्ष के लिए वैध होगी ।

(6) समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्म तिथि को आधार मानकर वरियता निर्धारित की जायेगी। जिस अभ्यर्थी की उम्र अधिक होगी उसको वरियता प्रदान की जावेगी।

(7) नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों का चयन होने पर, नियुक्ति आदेश विभागीय भर्ती नियमानुसार नियोक्ता अधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा। यदि नियुक्ति किये गये स्थान में कार्यभार ग्रहण तिथि तक उपस्थित नहीं होते हैं, तो नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जायेगी, जिसके लिए उम्मीदवार स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(8) कौशल परीक्षा का आयोजन संबंधित नोडल नर्सिंग महाविद्यालय के द्वारा कराया जायेगा ।

(9) भर्ती परीक्षा परिणाम के आधार पर तैयार की गई चयन सूची की वैधता, चयन सूची जारी किये जाने की तारीख से छः माह की होगी ।

(10) प्रत्येक प्रवर्ग के लिये एक प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जायेगी, जिसमें न्यूनतम अंक तथा अधिकतम रिक्त पदों के पच्चीस प्रतिशत तक नाम सम्मिलित होंगे। प्रतीक्षा सूची की वैधता ऐसी चयन सूची जारी होने की तारीख से नौ माह की होगी।

(11) (iv) छत्तीसगढ़ संविदा नियुक्ति नियम 2012 के उपबंधों के अध्ययधीन रहते हुए उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की संविदा नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों ।

(12) यदि पूर्व में किसी अभ्यर्थी को शासकीय सेवाओं से बर्खास्त या किसी भी प्रकार से दंडित किया गया हो तो वे चयन हेतु पात्र नहीं होंगे।

(13) चयनियत उम्मीदवारों को पुलिस वेरिफिकेशन (चरित्र सत्यापन) कराने तथा जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही शासकीय सेवा में लिया जावेगा।

V- दस्तावेज सत्यापन एवं स्थान :–

(1) स्थल – नोडल कार्यालय संबंधित शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, छ0ग0 (नोडल कार्यालय से संबंधित शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय की सूची का प्रकाशन अलग से यू.आर.एल. विभागीय वेबसाईट www.cgdme.in पर किया जावेगा।)

(2) वांछनीय **आवश्यक दस्तावेज** :–उक्त विज्ञापित पदों हेतु सार्टलिस्टेड अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन में पासपोर्ट साइज का 02 फोटो, पहचान हेतु आधार कार्ड, समस्त अंकसूची, आरक्षण के लाभ हेतु छ.ग. निवास प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति

प्रमाण पत्र, कार्य अनुभव एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र, परिशिष्ट–1 अनुसार शपथ पत्र, तथा **आवेदित पद से संबंधित समस्त दस्तावेज मूलतः** तथा उनकी दो सेट छायाप्रति प्रस्तुत करना होगा। सेवानिवृत्ति अभ्यर्थियों के मामले में सेवा प्रारंभ एवं रिटायरमेंट से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा ।

(3) आरक्षित वर्ग के आवेदकों को आरक्षित पदों पर नियुक्ति की पात्रता हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। भविष्य कि किन्ही परिस्थितियॉ में वांछनीय होने पर राज्य स्तरीय छानबीन समिति द्वारा जारी सत्यापित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

(4) चयन प्रकिया के किसी भी समय पर अथवा नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी को चयन सूची भेजने के बाद भी, यदि नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पायी गई है, तो वह निरर्हित हो जायेगा एवं उसका चयन/नियुक्ति, नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा समाप्त कर दी जायेगी ।

(5) विज्ञापित पदों के लिए आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र में उल्लेखित विवरण यथा जन्म दिनांक हेतु हाई स्कूल (दसवीं) की अंकसूची/प्रमाण पत्र, हायर सेकेण्डरी स्कूल की अंकसूची, डिप्लोमा/डिग्री, जाति प्रमाण पत्र निवास प्रमाण पत्र आदि की मूल प्रतियां एवं स्व–प्रमाणित छायाप्रति तथा चतुर्थ श्रेणी के पद हेतु पांचवीं की अंकसूची के साथ जाति प्रमाण–पत्र, निवास प्रमाण पत्र आदि की मूलप्रतियां एवं स्व–प्रमाणित छायाप्रति सत्यापन के समय प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

(6) छ.ग. शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर के पत्र क्र. /1–67/2021/सत्रह/एक दिनांक 07.12.2021 के अनुसार कोविड 19 में छ.ग. राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त एवं लगातार 06 माह सेवा देने वाले अभ्यर्थी अस्थायी कर्मचारियों को विभाग के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदों पर 10 अंक बोनस अनुभव के अतिरिक्त दिया जावेगा।

(7) दस्तावेज सत्यापन/कौशल परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर दस्तावेज स्थल/परीक्षा केन्द्र तक जाना होगा। इसके लिये कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(8) यदि अभ्यर्थी छ.ग. शासन के अधीन शासकीय विभाग/निगम/मण्डल/उपक्रम में कार्यरत हो तो अपने नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख से जारी ''अनापत्ति प्रमाण पत्र'' दस्तावेज सत्यापन के दौरान अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

VI पदों हेतु आरक्षण :–

(i) संविदा सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रं. 21 सन् 1994) के उपबंध तथा उक्त अधिनियम के अधीन, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

(ii) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं के नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंध के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए 30 प्रतिशत पद आरक्षित रखें जायेंगे। यह आरक्षण, समस्तर और प्रभागवार होगा । नियम के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, विधवा अथवा तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा।

(iii) उपरोक्त के अतिरिक्त, दिव्यांगजन/भूतपूर्व सैनिक के लिए पदों को शासन द्वारा समय–समय पर बनाये गये अधिनियम/नियम/जारी आदेश/निर्देश के अनुसार आरक्षित रखा जायेगा । दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (2016 का सं. 49) के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य में लागू प्रतिशत के अनुसार पदों का आरक्षण, 7 प्रतिशत रहेगा ।

(iv) श्रवण शक्ति ह्रास बाधित व्यक्ति यदि श्रवण यंत्र की सहायता से सुनने में सक्षम हो तो उपरोक्त संविदा पद पर नियुक्ति के लिए पात्र होंगे एवं पूर्ण बधिर व्यक्ति अपात्र होगें।

VII संविदा कार्यकाल :–

(i) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के नियम 11 (2) (3) (4) एवं (5) के अनुक्रम में उपरोक्त पदों पर नियुक्त अभ्यर्थी का संविदा कार्यकाल निम्नानुसार होगा :–

(a) राज्य शासन द्वारा नवीन शासकीय नर्सिंग महाविद्यालयों में उपरोक्त संविदा पदों पर दो वर्ष के लिये नियुक्ति अनुमति प्रदान की गई है, जिसके तहत् चयनित उम्मीदवारों को उपरोक्त पदों पर प्रथमतः दो वर्षों के लिये संविदा नियुक्ति प्रदान की जायेगी। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन कर संविदा नवीनीकरण का निर्णय लिया जा सकेगा ।

(b) संविदा नियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जाएगी तथा सेवा समाप्त करने के लिए पृथक आदेश जारी करना आवश्यक नहीं होगा ।

(c) संविदा नियुक्ति की अवधि में दोनो पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में एक माह का वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी ।

(d) कार्यालय प्रमुख द्वारा नियुक्त अधिकारी का कार्य प्रतिवेदन संतोषजनक नहीं देने अथवा अनाधिकृत रूप से अवकाश पर रहने पर उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त करने का अधिकार नियोक्ता को होगा।

(e) संविदा नियुक्त अधिकारी नियमित पदों पर नियुक्ति या नियमितीकरण के लिये कोई कानूनी दावा नही कर सकेगा। प्राचार्य के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रणाधीन रहकर समस्त प्रशासनिक एवं सौंपे गये शासकीय दायित्वों का निर्वहन करेगा ।

(ii) नवीन शासकीय नर्सिंग महाविद्यालयों में उपरोक्त विज्ञापित पदों पर संविदा नियुक्ति, नियुक्ति आदेश दिनॉक से 2 वर्ष अथवा उपरोक्त स.क्रं. 6(i)(b) अथवा नियमित नियुक्ति/तदर्थ/पदोन्नति से पूर्ति होने तक जो भी पहले हो तक अथवा शासन के द्वारा समय–समय पर जारी किसी अन्य दिशा–निर्देश तक के लिये की जायेगी।

VII संविदा वेतन :–

(i) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के नियम 12 के प्रावधानानुसार, संविदा सेवा में सिर्फ मासिक एकमुश्त राशि वेतन के रूप में देय होगी, इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, महंगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता इत्यादि नहीं दिया जायेगा तथा संविदा नियुक्ति के अधीन वार्षिक वेतनवृद्धि की पात्रता नहीं होगी।

(2) मासिक एकमुश्त राशि वेतन का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा :–

(क) संविदा नियुक्ति की स्थिति में मासिक एकमुश्त राशि वेतन वह होगा जो वित्त विभाग समय–समय पर सामान्य या विशेष आदेश द्वारा नियत करे।

(ख) सेवानिवृत्त शासकीय सेवक की संविदा नियुक्ति के मामले में संविदा वेतन निम्नानुसार निर्धारित किया जायेगा –

(एक) मूल संविदा वेतन का निर्धारण सेवानिवृत्त तिथि पर अनुज्ञेय मूल वेतन में से सेवानिवृत्त पर निर्धारित मूल पेंशन (सारांशीकृत अंश को शामिल करते हुए) को घटाकर किया जाएगा।

(दो) उसे, इस प्रकार से निर्धारित मूल संविदा वेतन पर, राज्य शासन के कर्मचारियों को समय–समय पर अनुज्ञेय दर से मंहगाई भत्ते की पात्रता होगी,

(तीन) उसे, ऐसे विशेष वेतन/भत्ते, जो उसके सेवानिवृत्ति के समय धारित पद पर अनुज्ञेय थे और संविदा नियुक्ति के पद के साथ भी संलग्न हैं, की उस दर से पात्रता होगी जो वह सेवानिवृत्ति के समय आहरित कर रहा था तथा इसके अतिरिक्त वह सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त हो रहे मूल वेतन पर गृह भाड़ा भत्ता (यदि शासकीय आवास गृह धारण नही करता है) एवं नगर क्षतिपूर्ति भत्ता का हकदार होगा तथा पेंशन एवं पेंशन पर मंहगाई राहत के लिये भी पृथक से हकदार होगा। ''

(ग) संविदा नियुक्ति के विशेष प्रकरणों में, अधिवार्षिकी से सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के मामले में अथवा/या विशेषज्ञता, अनुभव व विशिष्ट योग्यता के आधार संविदा नियुक्ति के मामले में, किसी पद पर/उच्च पद पर संविदा नियुक्ति दिए जाने की स्थिति में संबंधित पद का तत्समय प्रवृत्त वेतनमान संविदा की अवधि तक साथ ही अन्य देय आनुषांगिक लाभ सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग की सहमति से दिये जा सकेंगे।

IX अवकाश एवं अन्य विशेष शर्तें :–

1. अवकाश, यात्रा भत्ता एवं अन्य सुविधायें छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के नियम 13 एवं 14 के अनुसार देय होगी। नियुक्त अधिकारी छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के नियम 15 से शासित होंगें।
2. चयन प्रकिया के दौरान अथवा चयन के उपरांत यदि कोई जानकारी असत्य/फर्जी पायी जाती है, तो अभ्यर्थी की नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी तथा संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। भर्ती प्रकिया के दौरान किसी भी प्रकार के वाद पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।

X अन्य नियम व शर्तें :–

(1) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 से शासित होंगे।

(2) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को संविदा सेवा की अवधि के लिये किसी भी प्रकार की पेंशन, उपदान या मृत्यु लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।

(3) संविदा आधार पर नियुक्त व्यक्ति का गोपनीय प्रतिवेदन/पी.ए.आर. (परफार्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट) लेखबद्ध किया जाएगा एवं संविदा आधार पर आगे और नियुक्ति के लिए उसका /उसकी विचारण किए जाने की दशा में, संविदात्मक सेवा की कालावधि के विस्तारण हेतु उसका/उसकी गोपनीय प्रतिवेदन/पी.ए. आर. (कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन) का निर्धारण उत्कृष्ट या बहुत अच्छा होना आवश्यक है।

(4) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को अपनी परिवार की सामाजिक सुरक्षा के लिये संविदा वेतन की कम से कम 10 प्रतिशत राशि जीवन बीमा पेंशन योजना अथवा पी.पी.एफ. में जमा करनी होगी तथा इस बात की सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को देनी होगी कि कर्मचारी द्वारा किस योजना का वरण किया गया है। यह प्रावधान सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों पर लागू नहीं हेागा ।

(5) अर्हताधारी उम्मीद्वार ही आवेदन प्रस्तुत करें।

(6) उपरोक्त विज्ञापन में पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है।

(7) अलग–अलग पदों के लिए अलग–अलग ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करना होगा

आयुक्त
चिकित्सा शिक्षा छत्तीसगढ़

–––00–––

MEDICAL EDUCATION DEPARTMENT CHHATTISGARH, ATAL NAGAR, NAVA RAIPUR

Application for Contractual Recruitment

Paste Passport size Photo

(Size<100kb)

1- APPLIED POST ____

2- NAME - ____

3- FATHER'S NAME- ____

4- DATE OF BIRTH ____

5- CATEGORY - ____ __

6- ADDRESS FOR COMMUNICATION __________________________ _

____

7- PERMANENT ADDRESS _________________________ __________________________ _

_________________________ _________________________ __________________________

8- CONTACT NO (MOBILE Number) ____

9- C.G. DOMICILE YES / NO ____

10- EDUCATIONAL DETAILS-

S. No.	NAME OF EXAMINATION	BOARD/ UNIVERCITY	YEAR	MARK OBTAINED	MAX MARKS	PERCENT AGE

11- Experience Details - ____

____

____

12- No Objection Certificate Details ____

____

____

// DECLARATION //

I…………………………………………………………………D/o,S/o……………………………………………………
……residence of………………………………………………………………………………………………………do hereby given an undertaking that all the information given by me are true to best of my knowledge. My application/appointment letter may be cancelled in the event of a lack of necessary documents or if the information provided is incorrect.

Candidate Signature

1. Chairman (Scrutiny)
2. Chairman (Selection)
3. Officer incharge, Establishment

APPOINTING ATHOURITY

Checklist-

S.No.	Certificates/Documents	Yes/No/NA
1	High School Marksheet (Date of Birth)	
2	Undergraduate Marksheets	
3	Underdergraduate Degree	
4	Other necessary and desirable documents related to the post applied for. A. B. C.	
5	Domicile Certificate issued by Competent Authority	
6	Cast Certificate issued by Competent Authority	
7	Aadhar Card	
8	Self declaration	
9	NOC from current employer in case of working in Govt./Semi. Govt./ Autonomous/ Non Govt. Institutions etc.	
10	Others if any	
11	Essential document regarding post	